न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 182/2020

GCMS No. 2020/00260

प्रार्थीः–

1. राजपुरोहित समाज दुदोड तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के समस्त सदस्यगण
2. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान – सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
3. डुंगरसिंह पुत्र हिरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
4. हिरसिंह पुत्र समरथसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
5. शैतानसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
6. नरपतसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
7. रामसिंह पुत्र हिरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
8. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
9. श्यामसिंह पुत्र मोतीसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
10. भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
11. प्रभुसिंह पुत्र मोतीसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
12. सज्जनसिंह पुत्र श्यामसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड
13. दलपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह, जाति

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम दुदौड तहसील मा0ज0 सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड के विधिक वारिसानः–
   1.1 दरियाव कवंर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव दुदोड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
   1.2 संगीता कवंर पुत्री भंवरसिंह पत्नी राजुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम दुदोड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल निवासी गोगाजी मंदिर के पास मनी नगर पाली(राज.)
2. ग्राम पंचायत दुदौड पंचायत समिति मा0ज0 जरिये सरपंच महोदय
3. पुनाराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी धारेश्वर दुदौड तहसील मा0ज0 जिला पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली

राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड

14. कानसिंह पुत्र हिरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड

15. निर्मलसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम दुदोड, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली राजस्थान– सदस्य राजपुरोहित समाज दुदोड

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-2-2024

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या ..संकल्प संख्या .. की पालना में अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 15.10.1996 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता को वक्त बहस बार–बार आवाजे लगाने के बावजुद अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण राजपुरोहित समाज दुदोड के सदस्य है, जहां पर राजपुरोहित समाज के लगभग 40 घरो में लगभग 250 लोग निवास करते है। ग्राम दुदोड में राजपुरोहित समाज का जैर निगरानी नौहरा स्थित है,जिस पर राजपुरोहित समाज का सामुहिक 50–60 वर्षो से कब्जाशुदा आधिपत्य है, जिसका समाज के लोग बिना रोक टोक से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त जैर आराजी नौहरा के दक्षिण में आम रास्ता उत्तर में नाथाराम पुत्र नारायणलाल कुम्हार का मकान, पुर्व में सार्वजनिक बेरी व रामदेव का चबुतरा व पडत आबादी भुमि, पश्चिम में ओगडराम पुत्र थानाराम सीरवी का मकान एवं गंगाराम चौधरी का नोहरा स्थित है जिसकी चारदीवारी एवं गेट राजपुरोहित समाज दुदोड के सदस्यो द्वारा सामुहिक रूप से पैसा इकट्ठा कर करवाया था, जिसका उपयोग सामाजिक शादी समारोह एवं मौत–मृतंग आदि सामाजिक कार्यो के लिए करते आ रहे है। जिससे अप्रार्थीगण भंलिभाति अवगत है। उक्त आराजी का राजपुरोहित समाज ने समाज के नाम पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत दुदोड में दिनांक 16.09.1996 को आवेदन प्रस्तुत किया, एक दुसरा आवेदन ग्राम पंचायत में 08.03.1998 को पेश किया उक्त दोनो आवेदन समाज की और से ग्राम पंचायत दुदोड में प्रस्तुत करते समय अप्रार्थी सख्या 01 मृतक भंवरसिंह भी साथ में था। उक्त दोनो आवेदन आदिनांक तक ग्राम पंचायत दुदोड में विचाराधीन है, जिससे अप्रार्थीगण को भलीभाति जानकारी है। जैर निगरानी आराजी में समाज के सदस्यो द्वारा निर्माण कार्य करवाने का निर्णय लिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने आपत्ति करते हुए कहा की जैर निगरानी आराजी नोहरा समाज का न होकर उसका स्वंय का है जिस पर समाज किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं कर सकती है ओर जैर निगरानी पट्टा की प्रति बतायी ओर जैर निगरानी पटटे को किसी ओर को हस्तान्तरण करने को कहा जिस पर प्रार्थी नारायणसिंह ने ग्राम पंचायत में जैर निगरानी आराजी के संबध में ग्राम पंचायत से मिसल एवं संबधित रेकर्ड हेतु

अति. जिला कलक्टर, पाली

आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड नही होना जाहिर किया। जैर निगरानी आराजी को प्रथम दृष्टया देखने मात्र से स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पटटा कूटरचित एंव फर्जी है, जिस पर मिसल संख्या, दायर दिनांक, प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नही है एंव न ही किसी प्रकार का शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवाया गया। जैर निगरानी आराजी के संबध में तत्कालिन सरपंच पुसाराम ने जैर निगरानी पट्टे पर उसके हस्ताक्षर नही होकर फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर होना बताया जिसके सन्दर्भ में न्यायालय मुंसिफ एंव न्यायिक मजिट्रेट साहब मारवाड़ जंक्शन के सी आर नम्बर 110 पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में स्पष्ट रूप से लिख कर दिया था। जैर निगरानी पट्टे के पडौस एव नाप–चोक मौका स्थिति एवं पट्टे के अनुसार भिन्न–भिन्न है। पट्टे की पुश्त पर रामलाल के हस्ताक्षर है वास्तविकता में रामलाल नाम का कोई व्यक्ति कमेटी का सदस्य रहा ही नही है। जैर निगरानी पट्टा कब्जाशुदा मकान के आधार पंचायती राज एंव न्याय उप.स. नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार जारी किया गया है जबकि वास्तविकता में आदिनांक तक जैर निगरानी नोहरा मे किसी प्रकार का मकान नही बना हुआ है। पंचायती राज नियमों के तहत कोई पट्टा जारी करने हेतु विधिवत मिसल दायर कर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर मौका निरीक्षण, आपत्ति इश्तहार एवं विधिवत पंचायत बैठक, स्वतत्र गवाह के बयान लिये जाकर, निर्धारित शुल्क लिया जाकर पट्टा जारी किया जाता है, लेकिन जैर निगरानी पट्टे मे ऐसा कुछ भी नही किया जाकर पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो खारिज योग्य हैं। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा जैर निगरानी पट्टा विलेख निरस्त फरमाया जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजुद भी वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत निगरानी याचिका ग्राम पंचायत दुदोड द्वारा अप्रार्थी भंवरसिंह के नाम जारी विक्रय विलेख संख्या 06 दिनांक 15.10.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत दुदोड ने जैर निगरानी पट्टा संख्या 06 दिनांक 15.10.1996 अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह के पक्ष में जारी किया गया, जिसे भंवरसिंह ने अपनी पुत्री संगीता पत्नी राजूसिंह राजपुरोहित को जरिये बख्शीशनामे के बख्शीश कर दिया, जिसे अप्रार्थीया संगीता ने पुनाराम पुत्र तेजाराम को बेचान कर दिया, जबकि उक्त नौहरा का उपयोग राजपुरोहित समाज दुदोड द्वारा सामाजिक कार्यो के लिए उपयोग किया जाता रहा है जिसके संबधं में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने फोटोग्राफ प्रस्तुत किये। उक्त नौहरे की बाउड्री एवं गेट का निर्माण कार्य भी राजपुरोहित समाज के लोगो के सहयोग से किया गया है। अप्रार्थी भंवरसिंह के साथ राजपुरोहित समाज के लोगो ने दो बार दिनांक 16.09.1996 एवं 08.03.1998 को जैर निगरानी आराजी का समाज के नाम पट्टा जारी करने के लिए ग्राम पंचायत दुदोड में आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त दोनों आवेदन पर ग्राम पंचायत दुदौड में विचाराधीन है। जैर निगरानी पट्टा विलेख के संबंध में रेकर्ड बाबत ग्राम पंचायत दुदौड ने अवगत कराया है कि ग्राम पचांयत में जैर निगरानी पट्टा विलेख से संबंधित कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। यह भी उललेखनीय है कि जैर निगरानी पट्टा विलेख के संबध में तत्कालीन सरपंच श्री पुसाराम ने माननीय न्यायालय मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड जंक्शन में दायर प्रकरण संख्या 75/2005 में स्पष्ट रूप से लिखकर दिया है कि वह ग्राम दुदौड का निवासी है तथा फरवरी 1995 से 25 सितम्बर 1997 तक वह सरपंच के पद पर रहा परन्तु उक्त अवधि में उसने सरपंच की हैसीयत से एक भी पट्टा नहीं बनाया है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत दुदौड द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु प्रावधान दिये गये है, लेकिन हस्तगत पट्टे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की पट्टे पर न तो मिसल संख्या एवं दिनांक का अंकन है, न ही प्रस्ताव संख्या/संकल्प संख्या का अंकन है। जैर निगरानी पट्टा कब्जाशुदा मकान होने से राज. पंचायत एंव न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया है। ग्राम पचायत द्वारा किसी भुमि का पटटा जारी करने हेतु पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 मे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पट्टा जारी किया जाता है जिसमें प्रार्थी को नियमानुसार आवेदन कर निर्धारित शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवा कर सम्पुर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश

अति. जिला कलक्टर, पाली

नहीं किया, न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम की गई, न ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 148 के तहत कोई आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया, जिसमें न तो विक्रय विलेख के संबंध में कोई आवेदन है, न ही ग्राम पंचायत द्वारा नियम 148 के तहत आपत्ति इस्तिहार जारी किया गया है, न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए गए है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी भवंर सिंह के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी उपस्थित नही हुए। पृथम दृष्टया निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व प्रकट तथ्य उनके पक्ष में मानते हुए जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदोड द्वारा अप्रार्थी भवंर सिंह पुत्र भोपालसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 15.10.1996 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत प्रेषित की जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-2-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली